मेन्स मास्टर

भारत की राजनीतिक दल प्रणाली में सुधार की लंबी राह

प्रसंग:
• 2024 के भारतीय आम चुनावों के करीब आने के साथ, देश भर में राजनेताओं के दल बदलने (विधायकों के दल बदलने) के कई उदाहरण देखे गए हैं।
• इसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से दलबदल शामिल हैं।
• इन दलबदल के जवाब में, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दल-बदल विरोधी कानून के तहत विधायकों की अयोग्यता हुई है।

पृष्ठभूमि:
• भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित दल-बदल विरोधी कानून, विधायकों द्वारा बार-बार पार्टी बदलने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए 1985 में अधिनियमित किया गया था।
• इस कानून का उद्देश्य उन विधायकों को दंडित करके राजनीतिक दलों के भीतर स्थिरता और एकजुटता को बढ़ावा देना है:
  ○ जिस पार्टी की ओर से वे चुने गए हैं, उस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दें।
  ○ विधायिका में पार्टी के व्हिप (आधिकारिक निर्देश) के विरुद्ध मतदान करें।
  ○ पार्टी नेतृत्व की अनुमति के बिना मतदान से दूर रहें।

दलबदल क्या है?
• दलबदल तब होता है जब किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य पहली पार्टी के टिकट पर चुने जाने के बाद अक्सर अपनी निष्ठा किसी अन्य पार्टी में बदल लेता है।
• इसके महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
  ○ दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने पर विधायिका में उनकी सीट का नुकसान।
  ○ दल बदलने वाले राजनेता और इसमें शामिल पार्टियों दोनों की प्रतिष्ठा को नुकसान।
  ○ विधायिका और सरकार के भीतर अस्थिरता की संभावना।

वक्ताओं द्वारा दल-बदल विरोधी कानून के उल्लंघन के हालिया उदाहरण:
• महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिए गए शिव सेना और राकांपा विभाजन के फैसलों से दल-बदल विरोधी कानून के अनुप्रयोग पर चिंताएं बढ़ गई हैं।
  ○ दोनों मामलों में, किसी भी गुट के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया गया, विभाजन के बावजूद मूल पार्टी के भीतर प्रभावी रूप से दो अलग-अलग समूह बन गए।
  ○ प्रत्येक मामले में एक गुट (शिवसेना में एकनाथ शिंदे और एनसीपी में अजीत पवार के नेतृत्व में) को "वास्तविक" पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी, भले ही उनका किसी अन्य मौजूदा पार्टी में विलय नहीं हुआ था।
  ○ स्पीकर ने तर्क दिया कि ये स्थितियाँ "अंतर-पार्टी असहमति" का प्रतिनिधित्व करती हैं और कानून के तहत अयोग्यता के अधीन नहीं हैं।

दलबदल और अंतर-पार्टी लोकतंत्र का अभाव:
• दलबदल का मुद्दा अक्सर राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी से जुड़ा होता है।
• जब व्यक्ति अपनी पार्टी के भीतर अनसुना, उपेक्षित, या सार्थक रूप से भाग लेने में असमर्थ महसूस करते हैं, तो वे किसी अन्य पार्टी में जाने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं जिसे वे अपने हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए मानते हैं।
• इस चिंता को दूर करने के लिए, भारत के विधि आयोग ने दोतरफा दृष्टिकोण की सिफारिश की:
  ○ सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतांत्रिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना।
  ○ वैधानिक नियमों का परिचय जो राजनीतिक दलों को बेहतर आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए मजबूर करते हैं।

सिफ़ारिशें:
• अंतर-पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करने और संभावित रूप से दलबदल के लिए प्रोत्साहन को कम करने के लिए विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करें।
• हाल के फैसलों और उभरती राजनीतिक वास्तविकताओं के आलोक में इसकी सीमाओं को संबोधित करने के लिए दल-बदल विरोधी कानून की व्यापक समीक्षा करें। इस समीक्षा पर विचार करना चाहिए:
  ○ क्या "दल-बदल" की वर्तमान परिभाषा पर्याप्त रूप से स्पष्ट और व्यापक है।
  ○ राजनीतिक दलों के भीतर असहमति के अधिकार के साथ विधायिकाओं के भीतर स्थिरता की आवश्यकता को कैसे संतुलित किया जाए।
  ○ कानून की व्याख्या और कार्यान्वयन में अध्यक्ष की भूमिका।

आगे बढ़ने का रास्ता:
• महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में आगामी समीक्षा समिति दल-बदल विरोधी कानून में सुधार के लिए एक मूल्यवान अवसर प्रस्तुत करती है।
• अपनी कथित आवश्यकता और प्रभावशीलता से जुड़ी चिंताओं को संबोधित करके, समिति इस दिशा में काम कर सकती है:
  ○ यह सुनिश्चित करना कि कानून प्रभावी ढंग से कार्यान्वित और क्रियान्वित हो।
  ○ एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाना जो लोगों की जरूरतों के प्रति स्थिर और उत्तरदायी दोनों हो।

प्लास्टिक के पहाड़ हिमालयी राज्यों का दम घोंट रहे हैं

प्रसंग:
• प्लास्टिक कचरा दुनिया भर में सर्वव्यापी हो गया है, जो उच्चतम पर्वत चोटियों से लेकर सबसे गहरी समुद्री खाइयों तक के वातावरण को दूषित कर रहा है।
• यह प्लास्टिक प्रदूषण मानव शरीर तक भी पहुंचता है, हमारे फेफड़ों और प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक का पता चलता है।
• माइक्रोप्लास्टिक का निर्माण अनुचित तरीके से फेंकी गई बड़ी प्लास्टिक वस्तुओं के क्षरण और विखंडन से होता है।
• ये छोटे प्लास्टिक के टुकड़े भारतीय हिमालय क्षेत्र (IHR) के पहाड़ों, नदियों, झीलों और नालों में जमा होते पाए गए हैं।
• ग्लेशियरों के भीतर फंसे माइक्रोप्लास्टिक को बर्फ पिघलने के दौरान नदियों में छोड़ा जा सकता है, जिससे महत्वपूर्ण जल स्रोत और प्रदूषित हो सकते हैं।

पृष्ठभूमि:
• IHR भारतीय उपमहाद्वीप के लिए पानी के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों को पानी देता है।
• दुर्भाग्य से, प्लास्टिक निपटान से संबंधित अस्थिर प्रथाएं पूरे आईएचआर में बड़े पैमाने पर मिट्टी और जल प्रदूषण का कारण बन रही हैं।
• इस प्रदूषण का क्षेत्र की जैव विविधता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जो अंततः डाउनस्ट्रीम समुदायों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करता है जो इन स्वच्छ जल स्रोतों पर निर्भर हैं।

प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति:
• IHR में प्लास्टिक प्रदूषण का मुद्दा कई कारकों से बढ़ रहा है:
  ○ तीव्र और अनियोजित शहरीकरण के कारण उचित प्रबंधन बुनियादी ढांचे के बिना अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि हो रही है।
  ○ बदलते उपभोग पैटर्न और बढ़ते पर्यटक उद्योग प्लास्टिक कचरे में वृद्धि में योगदान करते हैं।
  ○ सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ (एसडीसी) फाउंडेशन देहरादून की एक हालिया रिपोर्ट ने उत्तराखंड भर के शहरों में चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डाला है, जहां प्लास्टिक कचरा एक बड़ा बोझ बनता जा रहा है।
  ○ अन्य हिमालयी राज्यों में भी इसी तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों और व्यवसायों द्वारा कचरा डंपिंग के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।
  ○ हिमाचल प्रदेश के अलावा, असम और मणिपुर जैसे राज्य भी अपनी नदियों और आर्द्रभूमियों में प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित मुद्दों का सामना कर रहे हैं, जो वन्यजीवों और पारिस्थितिकी प्रणालियों को प्रभावित कर रहा है।
  ○ जीरो वेस्ट हिमालय और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव द्वारा संचालित हिमालय क्लीन अप पहल (2018-2021) के डेटा से आईएचआर के भीतर प्लास्टिक कचरे, विशेष रूप से गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्रकारों में वृद्धि की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का पता चलता है।
  ○ हिमालयन क्लीन अप (2022) के निष्कर्ष समस्या की गंभीरता को और उजागर करते हैं, जिसमें 92.7% एकत्रित कचरा प्लास्टिक था, जिसमें से 72% गैर-पुनर्चक्रण योग्य था।

माइक्रोप्लास्टिक और उनके कारण होने वाला प्रदूषण:

• IHR में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है।

• प्लास्टिक की बड़ी वस्तुओं के टूटने से बने ये छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, जलीय जीवों द्वारा निगले जाने पर आसानी से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं।

• इसका पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, संभावित रूप से बड़े जानवरों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और अंततः यह मनुष्यों तक पहुंच सकता है जो मछली और अन्य दूषित खाद्य स्रोतों का उपभोग करते हैं।

• ग्लेशियरों के भीतर माइक्रोप्लास्टिक के फंसने से प्रदूषण का एक दीर्घकालिक भंडार बनता है, जिससे बर्फ पिघलने की अवधि के दौरान इन हानिकारक टुकड़ों को नदियों और नालों में छोड़ने की संभावना होती है, जिससे महत्वपूर्ण जल स्रोत और अधिक दूषित हो जाते हैं।

हिमालय क्षेत्र की नाजुकता और सुभेद्यता:

भारतीय हिमालय क्षेत्र (IHR) एक राजसी परिदृश्य है जो अपनी लुभावनी चोटियों, विविध पारिस्थितिकी तंत्र और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। हालाँकि, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय खतरों का सामना करते समय यह भव्यता एक महत्वपूर्ण भेद्यता में बदल जाती है। यहां इस बात पर गहराई से नजर डाली गई है कि IHR विशेष रूप से अतिसंवेदनशील क्यों है:

1. नाजुक और विविध पारिस्थितिकी तंत्र:

• हिमालय में हरे-भरे जंगलों और अल्पाइन घास के मैदानों से लेकर बर्फ से ढकी चोटियों और हिमनदी घाटियों तक पारिस्थितिक तंत्र की एक अनूठी टेपेस्ट्री है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र इन विशिष्ट परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित विशिष्ट वनस्पतियों और जीवों का घर है।

• इन पारिस्थितिक तंत्रों का नाजुक संतुलन प्लास्टिक प्रदूषण जैसे बाहरी कारकों से आसानी से बाधित हो जाता है, जो खाद्य श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है, आवासों को दूषित कर सकता है और आक्रामक प्रजातियों को ला सकता है।

2. युवा और अस्थिर पर्वत श्रृंखलाएँ:

• पुरानी, अधिक स्थापित पर्वत श्रृंखलाओं के विपरीत, हिमालय अभी भी भौगोलिक रूप से युवा है और सक्रिय रूप से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ढलान अधिक तीव्र हैं, मिट्टी कम विकसित है, और समग्र परिदृश्य में भूस्खलन, हिमस्खलन और कटाव का खतरा अधिक है।

• प्लास्टिक प्रदूषण इन पहले से ही अस्थिर ढलानों पर तनाव की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। प्लास्टिक की गैर-बायोडिग्रेडेबल प्रकृति जल निकासी चैनलों को अवरुद्ध कर सकती है, भूस्खलन को बढ़ा सकती है, और मिट्टी के निर्माण की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में बाधा डाल सकती है, जिससे पहाड़ की नाजुक स्थिरता और भी खतरे में पड़ सकती है।

3. पर्माफ्रॉस्ट और हिमनद पिघल:

• हिमालय की अधिक ऊंचाई की विशेषता पर्माफ्रॉस्ट की उपस्थिति है, जो स्थायी रूप से जमी हुई जमीन है जिसमें महत्वपूर्ण मात्रा में पानी होता है और यह क्षेत्र की नाजुक जल विज्ञान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• प्लास्टिक प्रदूषण, विशेष रूप से माइक्रोप्लास्टिक्स, सौर विकिरण को अवशोषित करके और गर्मी को रोककर पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने को तेज कर सकता है। यह, बदले में, हिमनदों के पिघलने में वृद्धि में योगदान देता है, जिससे बाढ़, पानी की कमी और प्राकृतिक जल चक्र में व्यवधान उत्पन्न होता है।

4. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सीमित क्षमता:

• IHR में कठोर भूभाग और सीमित बुनियादी ढाँचा प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करते हैं। इन दूरस्थ और अक्सर दुर्गम क्षेत्रों में अपशिष्ट संग्रहण और प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव एक जटिल और महंगा उपक्रम है।

• मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे की कमी प्लास्टिक कचरे को पर्यावरण में जमा होने की अनुमति देती है, जिससे क्षेत्र की मौजूदा कमजोरियां और बढ़ जाती हैं।

5. डाउनस्ट्रीम प्रभाव:

• आईएचआर में प्लास्टिक प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव तत्काल आसपास के क्षेत्र से भी आगे तक फैले हुए हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ नीचे की ओर लाखों लोगों के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

• इन नदियों में प्लास्टिक संदूषण पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जलीय जीवन को नुकसान पहुँचाता है, और पीने, सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए इस पानी पर निर्भर रहने वाले समुदायों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।

प्लास्टिक ओवरशूट दिवस:

• 2023 में, भारत 6 जनवरी को अपने प्लास्टिक ओवरशूट दिवस पर पहुंचा। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु को दर्शाता है जहां देश की प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन इसकी अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता से अधिक है।

• यह सख्त अनुस्मारक IHR सहित भारत में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण संकट को दूर करने के लिए प्रभावी समाधानों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

जब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की बात आती है तो भारत एक महत्वपूर्ण चुनौती से जूझता है। यहां प्रमुख मुद्दों और रिपोर्ट की गई तथा वास्तविक पुनर्चक्रण दरों के बीच विसंगतियों का विवरण दिया गया है:

उच्च कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक (MWI):

• भारत का MWI स्कोर 98.55% के साथ दुनिया के सबसे खराब MWI स्कोर में से एक है, जो अपशिष्ट उत्पादन और उचित प्रबंधन क्षमता के बीच बड़े अंतर को दर्शाता है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक कचरे का एक बड़ा हिस्सा लैंडफिल, डंपसाइट्स या पर्यावरण में चला जाता है, जिससे गंभीर प्रदूषण होता है।

पुनर्चक्रण दावों में विसंगति:

• भारत सरकार 60% प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण दर का दावा करती है। हालाँकि, सीपीसीबी डेटा का उपयोग करके सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा स्वतंत्र विश्लेषण एक अलग तस्वीर पेश करता है।

प्लास्टिक पुनर्चक्रण की वास्तविकता:

• सीएसई विश्लेषण से पता चलता है कि केवल लगभग 12% प्लास्टिक कचरे को यांत्रिक रीसाइक्लिंग से गुजरना पड़ता है, जो प्लास्टिक को नए उत्पादों में छांटने और पुन: संसाधित करने की पारंपरिक विधि है।

• अन्य 20% को सह-भस्मीकरण (ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपशिष्ट जलाना), प्लास्टिक से ईंधन रूपांतरण, और प्लास्टिक एडिटिव्स के साथ सड़क निर्माण जैसे वैकल्पिक उपयोगों के लिए डायवर्ट किया जाता है। हालाँकि ये समाधान प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन ये चिंताएँ बढ़ाते हैं:

  ◦ **सह-भस्मीकरण:** प्लास्टिक जलाने से हवा में हानिकारक प्रदूषक निकलते हैं, जो किसी भी संभावित ऊर्जा लाभ को नकार देते हैं।

  ◦ **प्लास्टिक से ईंधन:** यह तकनीक अभी भी विकसित हो रही है और दक्षता और उत्सर्जन के बारे में सवाल उठाती है।

  ◦ **प्लास्टिक से सड़क निर्माण:** ऐसी सड़कों का दीर्घकालिक स्थायित्व और पर्यावरणीय प्रभाव अस्पष्ट रहता है।

कानूनी और संस्थागत अधिदेश:

• निम्नलिखित नियम भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा तैयार करते हैं:

  ◦ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम 2016

  ◦ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्लूएम) नियम 2016

  ◦ विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) 2022

• जबकि एसडब्ल्यूएम नियम पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को स्वीकार करते हैं, वे इस मान्यता को स्थानीय अधिकारियों और अपशिष्ट उत्पादकों दोनों के लिए ठोस और प्रभावी जनादेश में बदलने में विफल रहते हैं।

• इसके अलावा, पीडब्लूएम और ईपीआर नियम अपनी अद्वितीय भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताओं के कारण आईएचआर के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं।

गंभीर अनुमान:

• प्लास्टिक पर प्रतिबंध और बाय-बैक योजनाओं सहित विभिन्न राज्य पहलों के बावजूद, आईएचआर में बड़े पैमाने पर कूड़े की समस्या बनी हुई है।

• जबकि भारत सरकार 60% प्लास्टिक रीसाइक्लिंग दर का दावा करती है, स्वतंत्र विश्लेषण यह सुझाव देते हैं

तथ्य और आँकड़े

शीर्षक वृद्धि:

• भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में सालाना आधार पर 8.4% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की, जो अपेक्षाओं से अधिक है और सकारात्मक वित्तीय बाजार प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करती है।

विसंगतियाँ और संशोधन:

• हालाँकि, आधिकारिक अनुमान और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुमानों के बीच 1% से अधिक की विसंगतियों के कारण इस आंकड़े पर बहस छिड़ गई।

• एनएसओ ने बाद में पहली दो तिमाहियों के लिए विकास अनुमान को संशोधित किया, जो क्रमशः 8.2% और 8.1% था।

• पूरे साल के पूर्वानुमान को 7.3% से बढ़ाकर 7.6% पर समायोजित किया गया था, मुख्य रूप से आधार प्रभाव को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक डेटा में बदलाव के कारण।

आधार प्रभाव की व्याख्या:

• आधार प्रभाव ने संशोधनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। यह घटना तब घटित होती है जब विकास दर की तुलना पिछले वर्ष से असामान्य रूप से कम या उच्च मूल्य के साथ की जाती है। कम आधार वर्ष चालू वर्ष की वृद्धि को बढ़ाता है, जबकि उच्च आधार वर्ष इसे धीमा दिखा सकता है।

• इस मामले में, 2021-22 डेटा (9.7% वृद्धि) में ऊपर की ओर संशोधन के कारण 2022-23 में तुलना के लिए आधार कम हो गया, जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में साल-दर-साल वृद्धि बढ़ गई।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org

क्षेत्रीय प्रदर्शन:

• जबकि शीर्षक वृद्धि मजबूत दिखाई देती है, गहराई से देखने पर अधिक सूक्ष्म तस्वीर सामने आती है।

• वास्तविक उत्पादक क्षेत्र, जो आर्थिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, में तीसरी तिमाही में 6.5% की धीमी वृद्धि दर देखी गई।

• विशेष रूप से, महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में 0.8% की गिरावट देखी गई, जिससे ग्रामीण आय और खाद्य सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।

• इसके अतिरिक्त, अधिकांश अन्य क्षेत्रों में विकास की गति धीमी हो गई, जो मुख्य आंकड़ों से परे चुनौतियों का संकेत देती है।

विकास चालक:

• हेडलाइन वृद्धि और क्षेत्रीय प्रदर्शन के बीच यह विसंगति कम सरकारी सब्सिडी के कारण शुद्ध अप्रत्यक्ष करों में 32% की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इस उछाल ने समग्र सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े को बढ़ा दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह जैविक आर्थिक विकास को दर्शाता हो।

व्यय रुझान:

• उपभोक्ता खर्च, जो आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण चालक है, 3.5% की मामूली वृद्धि के साथ सुस्त रहा।

• सरकारी खर्च में भी 3.2% की कमी आई, जिससे समग्र आर्थिक गति में और गिरावट आई।

चुनाव वर्ष संदर्भ:

• आसन्न चुनाव के साथ, यह एनएसओ डेटा सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बिंदु बनने की संभावना है।

• हेडलाइन आंकड़ों से परे भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति की समग्र समझ हासिल करने के लिए डेटा का गंभीर रूप से विश्लेषण करना और कई स्रोतों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

• इसके अतिरिक्त, समावेशी और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि जैसे क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

प्रीलिम्स बूस्टर

सीएसएल दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जहाज मरम्मत इकाई के साथ सफलता की ओर अग्रसर है

🚢 पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ₹4,000 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद कोच्चि का कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जहाज-मरम्मत केंद्र बनने के लिए तैयार है, जिसमें लगभग ₹2,800 करोड़ की लागत वाली नई ड्राई डॉक और अंतरराष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा भी शामिल है। .

📈 वैश्विक स्तर पर बेड़े प्रतिस्थापन की बढ़ती मांग के कारण जहाज निर्माण क्षेत्र में वृद्धि का अनुभव होने की उम्मीद है, भारत में सीएसएल और अन्य यार्डों में आने वाले वर्षों में बेहतर ऑर्डर सेवन देखने की संभावना है।

🌊 सीएसएल का हालिया विस्तार केंद्र सरकार के मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और 'अमृत काल मैरीटाइम विजन 2047' पहल के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत को दुनिया के शीर्ष 10 जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत स्थलों में स्थान दिलाना और समुद्री क्षेत्र में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

🛠️ सीएसएल में 310 मीटर लंबा नया ड्राई डॉक और 6,000 टन तक वजन वाले जहाजों को उठाने के लिए सुसज्जित अंतरराष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा, कोच्चि के जहाज निर्माण और मरम्मत क्षमताओं को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में एक व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की सुविधा प्रदान करेगी।

🔋 सीएसएल ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फ़ेरी भी विकसित की है, जो पर्यावरण-अनुकूल जहाजों के लिए स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन करती है, और भारतीय नौसेना के लिए नई परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जलयान और अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज शामिल हैं।

अलंग मरने वाले जहाजों के लिए अधिक जगह बनाता है

🚢 गुजरात में अलंग शिप-ब्रेकिंग यार्ड 50 नए भूखंडों को जोड़कर अपनी जहाज-रीसाइक्लिंग क्षमता का विस्तार करने के लिए तैयार है, इसके लिए तैयार किए जा रहे एक नए मास्टर प्लान के माध्यम से, इसकी क्षमता 4.5 मिलियन प्रकाश विस्थापन टन भार (एलडीटी) से दोगुनी होकर 9 मिलियन एलडीटी हो जाएगी। भावनगर जिले में संपूर्ण अलंग क्षेत्र।

📈 वर्तमान में प्रति वर्ष 400-450 जहाजों को रीसाइक्लिंग करने में सक्षम, अलंग लगभग 200 जहाजों को रीसाइक्लिंग से सालाना 3.5 मिलियन टन स्टील का उत्पादन कर रहा है, और विस्तार का लक्ष्य अलंग में अधिक जहाजों को आकर्षित करना और खाली भूखंडों को दो चरणों में चालू करना है।

📉 153 भूखंड होने के बावजूद, 131 चालू और बाकी खाली होने के बावजूद, 2011-12 के बाद से अलंग में व्यापार में गिरावट देखी गई है, रीसाइक्लिंग के लिए जहाजों की संख्या 3.8 मिलियन एलडीटी के साथ 415 जहाजों से घटकर 2022-23 में 137 जहाजों पर आ गई है। 2021-22 में थोड़ा सुधार करके 209 जहाज़ों तक।

60 साल बाद, 'अनिश्चित' साइप्रस विभाजन के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है

🕊️ तुर्की के आक्रमण के बाद से साइप्रस शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन बफर जोन तनावपूर्ण बना हुआ है, हर साल हजारों उल्लंघन होते हैं, जिनमें अनधिकृत नागरिक क्रॉसिंग और आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं, जिससे साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (यूएनएफआईसीवाईपी) के लिए गंभीर टकराव और चुनौतियां पैदा होती हैं।

👮 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों द्वारा गश्त किए जाने वाले बफर जोन में यथास्थिति बनाए रखने के लिए विस्तार से सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है, मिशन को अपने दीर्घकालिक जनादेश और प्रभावकारिता के बारे में सवालों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर जब के पतन के बाद समाधान की उम्मीदें कम बनी हुई हैं 2017 में अंतिम संयुक्त राष्ट्र समर्थित वार्ता।

🤝 संयुक्त राष्ट्र के नए दूत की नियुक्ति ने समझौते के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगाई है, लेकिन इसके पीछे छह दशकों की असफल वार्ता के साथ, संयुक्त राष्ट्र को सवालों का सामना करना पड़ रहा है कि तनाव बढ़ने के संभावित जोखिमों के बावजूद इसे कितने समय तक रहना चाहिए। नाटो सहयोगियों को शामिल करना।

📝 1974 से, निकोसिया को कवर करने वाले बफर जोन के सेक्टर 2 का मुख्यालय लेड्रा पैलेस होटल में है, जो कभी साइप्रस में सबसे ग्लैमरस में से एक था और अब इसके विभाजन का प्रतीक है।

भारत में मोटापा, अल्पपोषण क्यों अधिक है: लैंसेट अध्ययन क्या कहता है?

🍔 भारत में पिछले 32 वर्षों में न केवल वयस्कों में बल्कि बच्चों में भी मोटापे के स्तर में लगातार वृद्धि देखी गई है, जबकि देश में अल्पपोषण का प्रसार उच्च बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कुपोषण का "दोहरा बोझ" बढ़ गया है। एक नए लैंसेट अध्ययन के लिए। अध्ययन इस प्रवृत्ति को किफायती और पौष्टिक भोजन तक पहुंच की कमी के साथ-साथ वसा, नमक और चीनी में उच्च प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत के लिए जिम्मेदार मानता है।

📊 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, मोटापे को वसा के असामान्य या अत्यधिक संचय के रूप में परिभाषित किया गया है जो स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। वयस्कों (20 वर्ष से अधिक) को मोटा माना जाता है यदि उनका बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) 30 किग्रा/एम2 या अधिक है, जबकि स्कूल-आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों (5-19 वर्ष) को मोटा माना जाता है यदि उनका बीएमआई दो मानक विचलन है। माध्य से अधिक.

🍎 कम वजन, अल्पपोषण का एक रूप है, जो वयस्कों में 18 किग्रा/एम2 से कम बीएमआई और स्कूल-आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों में औसत से दो मानक विचलन से कम है।

👴 अध्ययन में पाया गया कि पिछले तीन दशकों में महिलाओं में मोटापा बढ़ा है, 2022 में 44 मिलियन महिलाएं मोटापे के साथ जी रही हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान पुरुषों में मोटापा 4.9 प्रतिशत अंक बढ़ गया है, 26 मिलियन पुरुष मोटापे के साथ जी रहे हैं। 2022. इसके अतिरिक्त, भारतीय लड़कियों में पतलापन 20.3% के प्रसार के साथ दुनिया में सबसे अधिक पाया गया, और भारतीय लड़कों में 21.7% के प्रसार के साथ दूसरा सबसे अधिक पाया गया।

शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के पीएम बने

पीएमएल-एन नेता को 201 वोट मिले, जबकि उनके पीटीआई समर्थित प्रतिद्वंद्वी उमर अयूब खान को केवल 92 वोट मिले; 72 वर्षीय नेता ने विजय भाषण में कश्मीर मुद्दा उठाया और इसकी तुलना फिलिस्तीन संकट से की

ग्रे जोन युद्ध

🌐 "ग्रे ज़ोन युद्ध" को प्रत्यक्ष संघर्ष और शांति के बीच एक मध्य मार्ग के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें आर्थिक कार्रवाइयों, प्रभाव संचालन, साइबर हमले, भाड़े के संचालन, हत्याएं, दुष्प्रचार अभियान, ऋण जाल और आर्थिक प्रतिबंध जैसी कई गतिविधियां शामिल हैं। युद्ध के इस रूप ने शीत युद्ध के दौरान लोकप्रियता हासिल की, जब परमाणु-सशस्त्र शक्तियों के बीच सीधा संघर्ष संभव नहीं था, और तब से पारंपरिक युद्ध के आदी तकनीकी रूप से बेहतर विरोधियों पर लाभ हासिल करने की कोशिश करने वाली पार्टियों द्वारा इसे नियोजित किया गया है।

🛑 ग्रे ज़ोन युद्ध के उदाहरणों में दक्षिण चीन सागर में चीनी सैन्य उपस्थिति शामिल है, जिसमें फिलीपींस जैसे देशों ने चीन के क्षेत्रीय दावों को चुनौती दी है और ताइवान ने पूर्ण संघर्ष में शामिल हुए बिना दबाव बनाने के उद्देश्य से बढ़ती चीनी सैन्य कार्रवाइयों की रिपोर्ट दी है। अमेरिका भी इसी तरह की रणनीति में लगा हुआ है, जिसमें चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध और समुद्री टोही के साथ-साथ चीनी आयात पर शुल्क लगाना शामिल है।

❗ ग्रे ज़ोन युद्ध में प्रतिद्वंद्वी को ऐसी प्रतिक्रिया के लिए उकसाने का जोखिम होता है जो सैन्य प्रतिशोध को वैध बनाता है, जो युद्ध के इस रूप की जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रकृति को उजागर करता है।